207

संख्या-477/XXVIII-5-2014-87/2013

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-- 5 देहरादून, दिनांक: 04 मार्च, 2014

विषयः **पं0 हर गोबिन्द पन्त जिला चिकित्सालय, अल्मोडा में ओ0टी0 ब्लॉक की छत पर प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7प/1/43/2013/5520 दिनांक 06 फरवरी,2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 हर गोबिन्द पन्त जिला, चिकित्सालय, अल्मोडा में ओ0टी0 ब्लॉक की छत पर प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु गठित आगणन ₹36.38 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0,वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत कुल धनराशि ₹35.24 लाख **(रूपये पैतीस लाख चौबीस हजार मात्र)** जिसमें सिविल कार्यो हेतु ₹33.57 लाख व अधिप्राप्ति नियमसवली, 2008 के अधीन कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹1.67 लाख की धनराशि संस्तुत है, की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

13. आगणन की कुल स्वीकृत धनराशि ₹35.24 लाख में से ₹1.67 लाख के प्राविधानित कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

14. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमादित कराना आवश्यक होगा।

15. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

16. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

17. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

18. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली-भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

19. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।

20. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

21. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

22. कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराये जाने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.08 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 करना सुनिश्चित किया जायेगा।

23. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30.03.2013 एवं शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

24. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–110–अस्पताल तथा औषधालय–17–अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण, विस्तारीकरण तथा निर्माण–00–आयोजनागत–24–बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–278(P)/XXVII(3)/2013–14 दिनांक 04 मार्च, 2014 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–477 (1)/XXVIII–5–2014–87/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ऑबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोडा।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोडा।
5. निर्माण इकाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड–अल्मोडा।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव